

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक मार्च 08,2023

!!□ आज दिनांक 08.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

2. महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 108 वाहनों का चालान किया गया।

4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 42 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 72 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

6. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1.सुरेन्द्र राजभर उर्फ भटुल्ली पुत्र राजाराम राजभर, 2. रामअवध राजभर पुत्र स्व० सुभागे, 3. रामचैन चौहान पुत्र फौरेबी, 4. विजय राजभर उर्फ मिश्रा पुत्र स्व० रूपई निवासीगण सेमरहवा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10-10 लीटर के 04 जरिकैन में कुल 40 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने का उपकरण 04 अदद नलकी व एल्युमिनियम का 04 अदद पतिला मय ढक्कन बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 65/23 धारा 60(1)इ व 60(2) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त सुबास यादव पुत्र त्रियुगी यादव निवासी ग्राम शिवपुरी पो० शिवपुरी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 12 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 34/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2.अभियुक्त नीरज भारती पुत्र श्री प्रेम प्रसाद निवासी वार्ड नं० 01 अम्बेडकर नगर(नगर पंचायत सोनौली) थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 35/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना सोहगीबरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त राधेश्याम विन्द पुत्र भुट्टी विन्द निवासी हरिहरपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर हाल पता निवासी पिपरासी थाना सोहगीबरवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 02/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1.अभियुक्त बासुदेव पुत्र प्रद्युमन निवासी असुरैना टोला कुकेसर थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 90 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 37/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्ता सीमा पत्नी विजय निवासी ग्राम कोल्हुई थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 85 शीशी नेपाली शराब प्रत्येक 300 एमएल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 51/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्त रामकेवल पुत्र स्व0 भगहू निवासी ग्राम बडगो थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 52/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 3. अभियुक्त शिवशंकर पुत्र सुरेमन निवासी बडगो थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त जवाहिर पुत्र दुलारे निवासी मोरवन थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी/ पाउच बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 50/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त सोमबीर पुत्र रामप्यारे निवासी गुधन थाना कालानौर जिला रोहतक हरियाणा हाल पता गौरी बढैयपुरवा थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के कब्जे से 35 शीशी ट्रेटा बन्टी बबली देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता आरती पत्नी दीनदयाल निवासी ग्राम बेलहिया टोला खजहिया थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 35/23 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

08. NDPS अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त आशीष कुमार कलवार पुत्र घनश्याम कलवार नि0 गोपीगंज वार्ड नं0 02 प्रतापपुर गांव पालिका थाना सेमरी जिला नवलपरासी नेपाल के कब्जे से 288 अदद कैप्सुल प्रोक्सीको स्प्रास, 10 शीशी टोरेक्सी सिरप, 05 शीशी इस्कफ-डीएस नशीली दवा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/23 धारा 8/22 NDPS अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

09. ARMS अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त मुनिब पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम महाशय मोहल्ला वार्ड नं0 03 थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

10. विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 16 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

***11.* जनपद में 07/08.03.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 58 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**

12.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा।